सुविधाजनक व्यापार – विद्युत प्राप्ति

पृष्ठभूमि

विश्व बैंक की "सुविधाजनक व्यापार" पहल देशों को दस मानदंडों के आधार पर श्रेणीबद्ध करता है। "विद्युत प्राप्ति" इन मानदण्डों में से एक है। "विद्युत प्राप्ति" के लिए, विश्व बैंक चार मानदंडों (i) कार्यविधियों की संख्या; (ii) वाणिज्यिक विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने में लगने वाले समय; (iii) 140 केवीए तक के वाणिज्यिक विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने की लागत; और, (iv) विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता के आधार पर निष्पादन का आकलन करता है।

भारत ने सुधार की कई पहले की हैं जिनके कारण भारत की रैंकिंग रिपोर्ट, 2015 में 137वें स्थान से सुधर कर रिपोर्ट, 2019 में 24वें स्थान पर आ गई है।

	रिपोर्ट, 2015		**रिपोर्ट, 2019**	
समग्र रैंक	142		77	
विद्युत प्राप्ति रैंक	137		24	
	मुम्बई	दिल्ली	मुम्बई	दिल्ली
कार्यविधियां (संख्या)	7	7	4	3
समय (दिन)	67	140	82	31
लागत (प्रति व्यक्ति आय का %)	84	846	10.4	46.4
आपूर्ति की विश्वसनीयता और प्रशुल्क सूचकांक की पारिदर्शिता	-	-	7	6

इन उपक्रमों में विनियामक सुगमता के साथ-साथ सुधार उपाय भी शामिल हैं :

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और विनियामकों द्वारा किए गए विनियामक सुधार

- डबल पोल संरचना पर 500 केवीए तक के ट्रांसफार्मरों की संस्थापना की अनुमति के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के विनियमों में संशोधन किया गया।

- डिस्कॉमों द्वारा लगाई गई 11 केवी संस्थापनाओं के लिए विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन से छूट देने और ऐसे मामलों में डिस्कामों के अभियंताओं द्वारा स्व-प्रमाणन की अनुमति के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की अधिसूचना।

- 150 केवीए तक के एलटी कनेक्शन की अनुमति के लिए और 150 केवीए तक के एलटी कनेक्शन लेने के लिए एलटी टैरिफ के युक्तिकरण हेतु दिल्ली प्रशुल्क विनियम में संशोधन

- नए कनेक्शन की लागत और समय में कमी को सुकर बनाने के लिए दिल्ली में आपूर्ति संहिता में परिवर्तन।

चालू वर्ष में दिल्ली और मुम्बई द्वारा सूचित सुधार

- मुम्बई और दिल्ली में, आवेदन अनिवार्यत: ऑन लाइन किए जाने होते हैं और विद्युत कनेक्शन लेने के लिए केवल दो दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है।

- मुम्बई ने कार्यविधियों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी है। मुम्बई विद्युत विनियामक आयोग ने 25 मार्च, 2019 को विद्युत आपूर्ति कोड विनियम, 2005 के तहत नए कार्यप्रणाली निदेश जारी किए हैं। अब विद्युत संस्थापना की जांच रिपोर्ट को जमा/अपलोड करना आवश्यक नहीं है। अब यह ऑन लाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय स्व-घोषण का एक हिस्सा है। दिल्ली इस प्रक्रिया को पूर्व वर्षों में पहले ही अंगीकृत कर चुकी है।

- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने अपने दूसरे संशोधन विनियमों द्वारा 100 किलोवाट और इससे अधिक की संविदा मांग वाले इच्छुक आवेदकों से बैंक गारंटी स्वीकार करने के लिए आपूर्ति संहिता और निष्पादन मानक विनियम, 2017 के मौजूदा प्रावधानों में संशोधन किया है। इसका मुम्बई में पिछले वर्ष से अनुपालन किया जा रहा है।

- दिल्ली में, कनेक्शन प्रभारों को अब पहले प्रभारित नहीं किया जाता। इसे पहले चालू बिल में प्रभारित किया जाता है। मुम्बई इस प्रक्रिया को पिछले वर्ष से कर रही है।

- दिल्ली में 'खुदाई करो और बहाल करो' को प्रचालित किया गया है। इसके अलावा, दिल्ली में ऑन लाइन आरओडब्ल्यू अनुमति भी प्रचालन में है। मुम्बई में भी, ऑन लाइन आरओडब्ल्यू अनुमति प्रचालन में है और वहां ऐसी अनुमति दो दिन के भीतर प्रदान करने की प्रतिबद्धता है।

- दिल्ली में, एससीएडीए का एडीएमएस (उन्नत वितरण प्रबंधन प्रणाली) में उन्नयन किया गया है जो विद्युत अवरोधों पर त्वरित प्रतिक्रिया एवं उसकी पुन: बहाली को सुकर बनाती है।

अदानी इलैक्ट्रिसिटी, मुम्बई और टाटा पावर, दिल्ली के बारे में सूचना प्राप्त करने के संसाधन

- अदानी इलैक्ट्रिसिटी, मुम्बई के लिए

  - https://www.adanielectricity.com/EaseofDoingBusiness
  - https://iss.adanielectricity.com/mumbainsc/

- टाटा पावर, दिल्ली के लिए

  - http://www.tatapower-ddl.com/showcontent.aspx?this=760&f=CUSTOMER-ZONE&s=EODB&t=Ease-of-Doing-Business (टाटा पावर, दिल्ली के लिए)
  - http://tatapower-ddl.com/showcontent.aspx?this=541&f=CUSTOMER-ZONE&s=Apply-for-Connection&t=Non-Domestic